मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०२२

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२२

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा १६ का संशोधन.

३. धारा २९ का संशोधन.

४. धारा ३४ का संशोधन.

५. धारा ३७ का संशोधन.

६. धारा ३८ का स्थापन.

७. धारा ३९ का संशोधन.

८. धारा ४१ का स्थापन.

९. धारा ४२, ४३ और ४३क का लोप.

१०. धारा ४७ का संशोधन.

११. धारा ४८ का संशोधन.

१२. धारा ४९ का संशोधन.

१३. धारा ५० का संशोधन

१४. धारा ५२ का संशोधन.

१५. धारा ५४ का संशोधन.

१६. धारा १४६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन.

१७. धारा ५० की उपधारा (१) एवं (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा ५६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन.

१८. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट.

१९. धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव होना.

२०. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०२२

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की धारा २ से १५ तथा धारा २० उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ में,—

(क) उपधारा (२) में,—

(एक) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(खक) धारा ३८ के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों;";

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ४३क" का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (४) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द और अंक "तीस नवम्बर" स्थापित किए जाएं.

धारा २९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २९ में, उपधारा (२) में,—

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी" के स्थान पर शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (ग) में, शब्द "लगातार छह मास की अवधि तक" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी कि विहित की जाए", स्थापित किए जाएं.

धारा ३४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, शब्द "सितम्बर मास" के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" स्थापित किए जाएं.

धारा ३७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३७ में,—

(क) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यधीन तथा ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, माल या सेवाओं या दोनों की, की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती १० वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे, उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगेः

परन्तु, आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्तियों के जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिये समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु, यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा,

(ख) उपधारा (२) का लोप किया जाए;

(ग) उपधारा (३) में,—

(एक) शब्द और अंक "और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं", का लोप किया जाए;

(दो) प्रथम परंतुक में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" स्थापित किए जाएं;

(घ) उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (१) के अधीन, जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं.".

६. मूल अधिनियम की धारा ३८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ३८ का स्थापन.

''३८. (१) धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसी अन्य पूर्तियों, जो कि विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा स्वत: जनित विवरण, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को, इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे. आवक पूर्तियों तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.

(२) उपधारा (१) के अधीन स्वत: जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ, प्राप्तकर्ता द्वारा, धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,—

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए; या

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जो कर के संदाय में व्यतिक्रमी रहा है और ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या

(तीन) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या

(चार) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से, खण्ड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए, जिसका कि उसके द्वारा लाभ लिया जा सकता है; या

(पांच) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा ४९ की उपधारा (१२) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(छह) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं.''.

७. मूल अधिनियम की धारा ३९ में,— धारा ३९ का संशोधन.

(क) उपधारा (५) में, शब्द ''बीस'' के स्थान पर, शब्द ''तेरह'' स्थापित किया जाए;

(ख) उपधारा (७) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु उपधारा (१) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये,—

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाए, अवधारित रकम,

का भुगतान करेगा.'';

(ग) उपधारा (९) में,—

(एक) शब्द और अंक ''धारा ३७ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि,'' के स्थान पर, शब्द ''जहां'' स्थापित किया जाए;

(दो) परंतुक में, शब्द ''सितम्बर मास के लिए या दूसरी तिमाही के लिए वार्षिक विवरणी देने की नियत तारीख,'' के स्थान पर, शब्द ''तीस नवंबर'' स्थापित किए जाएं;

(घ) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१०) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों.''.

धारा ४१ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग.

''४१. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्वनिर्धारित रूप में, पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी.

(२) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ वापस किया जाएगा:

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति के संबंध में संदेय कर का भुगतान करता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा वापस की गई प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा.''.

धारा ४२, ४३ और ४३ (क) का लोप.

९. मूल अधिनियम की धारा ४२, ४३ और ४३ (क) का लोप किया जाए.

धारा ४७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ४७ में, उपधारा (१) में,—

(क) शब्द ''या अंतर्गामी'' का लोप किया जाए;

(ख) शब्द और अंक ''या धारा ३८'' का लोप किया जाए;

(ग) शब्द और अंक ''धारा ३९ या धारा ४५'' के पश्चात्, शब्द और अंक ''या धारा ५२'' अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा ४८ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ४८ में, उपधारा (२) में, शब्द और अंक ''धारा ३८ के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे.'' का लोप किया जाए.

धारा ४९ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,—

(क) उपधारा (२) में, शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा ४३ क'' का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (४) में, शब्द ''ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्ययीन रहते हुए'' स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, इलैक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा.''.

धारा ५० का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ५० में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित की गई समझी जाए, अर्थात्:—

''(३) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी.''.

धारा ५२ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (६) में, परंतुक में, शब्द ''सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख'' के स्थान पर, शब्द ''तीस नवंबर'' स्थापित किए जाएं.

धारा ५४ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,—

(क) उपधारा (१) में, परंतुक में, शब्दों और अंकों ''धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द ''छह मास'' के स्थान पर, शब्द ''दो वर्ष'' स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (१०) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपधारा (३) के अधीन'' का लोप किया जाए;

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (२) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(खक) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;

धारा १४६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन

१६. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ की धारा १४६ के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४७ पर दिनांक २३ जनवरी, २०१८ में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-०७-२०१८-१-पांच(८) दिनांक २३ जनवरी, २०१८ में संशोधन किए जाएंगे और नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट रीति से उस तालिका के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट तारीख से, भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा.

अधिसूचना क्रमांक और तारीख (१)	संशोधन (२)	संशोधन की प्रभावी तारीख (३)
अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-०७-२०१८-१-पांच(८) दिनांक २३ जनवरी, २०१८	उक्त अधिसूचना में पैरा १ में, शब्द ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण'' के स्थान पर, निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात्:— ''विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण और अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-५०-२०१९-१-पांच (०७) दिनांक १४-०२-२०२० में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मध्यपदेश माल और सेवा कर नियम, २०१७ के अधीन उपबंधित सभी कृत्य.''.	२२ जून, २०१७

(२) उपधारा (१) में प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी प्रभाव के साथ संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानों कि राज्य सरकार को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १४६ के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति थी।

धारा ५० की उपधारा (१) एवं (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा धारा ५६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन.

१७. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५० की उपधारा (१) और उपधारा (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा धारा ५६ के अधीन, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ३०७ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-२७-२०१७-पांच(५४), दिनांक ३० जून २०१७ में संशोधन किए जाएंगे और नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट रीति में उक्त तालिका के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी रूप से किए गए समझे जाएंगे.

अधिसूचना क्रमांक और तारीख (१)	संशोधन (२)	संशोधन की तारीख (३)
अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-२७-२०१७-१-पांच(५४) दिनांक ३० जून २०१७	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या २ के सामने, स्तंभ (३) में, ''२४'' अंकों के स्थान पर, ''१८'' अंक रखे जाएंगे.	१ जुलाई २०१७

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी प्रभाव के साथ संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानों कि राज्य सरकार को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ५० की उपधारा (१) और उपधारा (३), धारा ५४ की उपधारा (१२) तथा धारा ५६ के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति थी।

कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण से या संग्रहण से छूट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना.

१८. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४३३ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३/३३/२०१७/१/पांच (४२), दिनांक ५ अगस्त २०१७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष २३०१ के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, १ जुलाई २०१७ से प्रारंभ होकर, ३० सितंबर, २०१९ (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा.

(२) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (१) सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती.

धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन जारी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना.

१९. (१) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४६४ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-३९/२०१७/१/पांच (८३), दिनांक २२ नवम्बर, २०१९, सभी प्रयोजनों के लिए १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

(२) ऐसे सभी राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती.

कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से छूट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना.

२०. (१) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में सरल क्रमांक ४३३ पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३/३३/२०१७/१/पांच (४२), दिनांक ५ अगस्त, २०१७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी:—

(एक) मत्स्य आहार (शीर्ष २३०१ के अधीन आने वाला) की प्रदाय के संबंध में, १ जुलाई, २०१७ से प्रारंभ होकर, ३० सितंबर, २०१९ (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा.

(दो) पूली, व्हील्स और अन्य भाग (शीर्ष ८४८३ के अधीन आने वाला) और कृषि उपकरण के भाग के रूप में प्रयुक्त (शीर्ष ८४३२, ८४३३ एवं ८४३६ के अधीन आने वाला) के प्रदाय के संबंध में, १ जुलाई, २०१७ से प्रारंभ होकर, ३१ दिसंबर, २०१८ (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, छह प्रतिशत की दर से राज्य कर उद्गृहीत या संग्रहीत किया जाएगा.

(२) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

करदाता को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) में इनपुट कर प्रत्यय, पंजीयन निरस्तीकरण, क्रेडिट नोट जारी करने, जी.एस.टी. विवरणी फाइल करने, स्वजनित विवरण, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग, विलंब शुल्क, कर का भुगतान, ब्याज, स्रोत से संग्रहीत कर और प्रतिदाय से संबंधित कतिपय उपबंधों को संशोधित करने और कुछ अधिसूचनाओं से संबंधित उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना अनिवार्य हो गया है.

२. संशोधन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(एक) करदाताओं द्वारा इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए एक और शर्त जोड़ना.

(दो) केवल वार्षिक विवरणी दाखिल न करने के लिए निरस्तीकरण का उपबंध करके संयुक्त करदाताओं को सुविधा प्रदान करना.

(तीन) आगामी वित्तीय वर्ष के नवम्बर माह के ३०वें दिन तक क्रेडिट नोट जारी करने की सुविधा प्रदान करना.

(चार) जावक पूर्ति प्रस्तुत करने से संबंधित उपबंध में संशोधन करना तथा वर्तमान अवधि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने से पहले पूर्व की अवधि की जावक आपूर्ति के विवरण आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी उपबंध जोड़ना.

(पांच) स्व:जनित आवक पूर्ति का उपबंध जोड़कर करदाताओं को सुविधा देना.

(छह) तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा मासिक भुगतान के लिए प्ररूप, रीति तथा समय-सीमा में परिवर्तन करना.

(सात) इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने तथा प्रव्यावर्तित करने की रीति विनिश्चित करना.

(आठ) धारा ४२, ४३ और ४३-क का लोप करना.

(नौ) आउटपुट कर दायित्व का समायोजन करने के लिए जमा खाता उपयोग का उपबंध अंत:स्थापित करना.

(दस) गलत प्रकार से उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर पर ब्याज उद्गृहीत करने का उपबंध करना तथा इसे भूतलक्षी प्रभाव देना.

(ग्यारह) ई-कामर्स ऑपरेटर को आगामी वित्तीय वर्ष के ३० नवम्बर तक सुधार करने की सुविधा का उपबंध करना.

(बारह) विशेष आर्थिक जोन और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से संबंधित प्रतिदाय प्रकरणों में समय-सीमा की गणना के लिए सुसंगत तारीख स्पष्ट करना.

(तेरह) कुछ अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से उपबंधित करना.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १२ सितम्बर २०२२

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

१. खण्ड-१ द्वारा विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिए विभिन्न तारीखें अधिसूचित किए जाने;

२. खण्ड-३ द्वारा मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अंतर्गत राज्य सरकार को विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर पंजीयन निरस्तीकरण के लिए कर अवधि के संबंध में;

३. खण्ड-५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (४) के अंतर्गत किसी पंजीयत व्यक्ति या पंजीयत व्यक्ति के वर्ग द्वारा जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगामी अवधि के जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकने हेतु पंजीयत व्यक्ति या पंजीयत व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित किए जाने;

४. खण्ड-६ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (१) के अंतर्गत इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप रीति तथा समय सीमा के साथ शर्तों एवं निबन्धनों के संबंध में;

५. खण्ड-७(ख) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (७) के परन्तुक के तहत् त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कर के भुगतान की रीति एवं समय सीमा विहित किए जाने;

६. खण्ड-७(घ) द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा १० के अंतर्गत किसी पंजीयत व्यक्ति या पंजीयत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा पूर्व कर अवधि की विवरणियां या जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी आगामी अवधि की विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु पंजीयत व्यक्ति या पंजीयत व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित किए जाने;

७. खण्ड-८ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४१ की उपधारा (२) के अंतर्गत इनपुट कर प्रत्येक के गलत दावे को ब्याज सहित वापस किए जाने;

८. खण्ड-१२ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४९ की उपधारा १२ के अंतर्गत जावक कर दायित्व के अधिकतम भाग जो इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते से चुकाया जा सकेगा, को निर्धारित किए जाने;

९. खण्ड-१३ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ५० की उपधारा ३ के अंतर्गत इनपुट कर प्रत्यय के गलत दावे तथा उपयोग पर ब्याज की गणना करने हेतु रीति विहित किए जाने;

१०. खण्ड-१६ द्वारा अधिसूचना क्रमांक ८/१८ राज्य कर दिनांक २३-०१-२०१८ में भूतलक्षीय प्रभाव से संशोधन अधिसूचित किए जाने; तथा

११. खण्ड-१७ द्वारा अधिसूचना क्रमांक ५४/१७ राज्य कर दिनांक ३०-०६-२०१७ में भूतलक्षीय प्रभाव से संशोधन हेतु अधिसूचित किए जाने, के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) से उद्धरण.

*　　*　　*　　*　　*

धारा १६. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं और धारा ४९ में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी.

(२) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज जो विहित किया जाए, न हो;

(कक) आपूर्तिकर्ता द्वारा खण्ड (क) में निर्दिष्ट इनवॉइस या डेबिट नोट का विवरण आउटवर्ड आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विवरण ऐसे इनवॉइस या डेबिट नोट के प्रासकर्ता को धारा ३७ के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में, सूचित किए गए हैं.

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त कर लिया है—

(एक) जहां माल, किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर परिदान किया गया है. चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(दो) जहां सेवाएं, किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश और उसकी ओर से प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती हो.

(ग) धारा ४१ या धारा ४३क के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नगद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) वह धारा ३९ के अधीन विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परंतु यह और कि जहां कोई प्रासिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्रासिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि प्रासिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा.

(३) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक कर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट संबंधित है, अंत के अगले सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा:

परंतु या कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, २०१८ के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामें नोट से संबंधित किसी बीजक के संबंध में मार्च मास, २०१९ के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, २०१९ के लिए उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं.

* * * * *

धारा २९ (१) समुचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां—

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) कराधेय व्यक्ति धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए दायी नहीं है या धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन किए गए स्वेच्छिक रजिस्ट्रेशन से बाहर आने का आशय रखता हो:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा फाइल की गई रजिस्ट्रीकरण से रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो कि विहीत की जाए, निलंबित किया जा सकेगा.

(२) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है; या

(ख) धारा १० के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति जिसने धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकृत कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन का तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निलंबित कर सकेगा.

(३) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा.

(४) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित इनपुट के संबंध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अर्द्ध–तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में जो विहित की जाए संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो, के प्रत्यय के समतुल्य है:

परंतु पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा १५ के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी से संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा.

(६) उपधारा (५) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्लित की जाएगी.

*　　*　　*　　*　　*

धारा ३४ (१) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है और उस कर बीजक में प्रभावित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा पूर्ति के किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट किसी वित्तीय वर्ष में किए गए प्रदायों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी कर सकेगा.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है. ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् सितम्बर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा:

परंतु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी.

(३) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर, कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्रापकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे पत्र जारी करेगा.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामे पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाए में समायोजित करेगा.

स्पष्टीकरण : इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''नामे पत्र'' के पद अंतर्गत पूरक बीजक हैं.

*　　*　　*　　*　　*

धारा ३७ (१) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की, की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती १०वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ११वें दिन से १५वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

परंतु यह और कि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास २०१८ के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, २०१९ या जनवरी, २०१९ से मार्च, २०१९ के लिए उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा.

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा ३८ की उपधारा (३) के अधीन ब्यौरे या धारा ३८ की उपधारा (४) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के १७वें दिन को या उसके पूर्व, किन्तु १५वें दिन से पूर्व न हो, इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परन्तु कर अवधी के उत्तरवर्ती मास के तथा उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदुनसार संशोधित होंगे.

(३) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं; उसमें किसी त्रुटि या लोक का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा.

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, ''जावक पूर्तियों के ब्यौरे'' पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे सम्मिलित है.

धारा ३८ (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा.

(२) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा (*sic* भिन्न) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियां या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ (१९७५ का ५१) की धारा ३ के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान १०वें दिन के पश्चात् परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के १५वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जा उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा.

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

३. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के और उपधारा (२) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे.

४. धारा ३९ की उपधारा (२) या उपधारा (४) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे.

५. कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (२) के अधीन ब्यौरे दिए है और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोक का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटिलोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (२) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

धारा ३९ (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर तथा संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे.

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा.

(३) धारा ५१ के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा.

(४) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् १३ दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररुप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् २० दिन के भीतर या धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(६) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(७) उपधारा (३) या उपधारा (५) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात् सरकार को संदाय करेगा :

परंतु उपधारा (१) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (२) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा.

(८) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है. प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं.

(९) धारा ३७ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वोत्तर हों, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(१०) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है.

* * * * *

धारा ४१ (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रानिक जमा बही में जमा की जाएगी.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व-निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा.

धारा ४२ (१) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्राप्तिकर्ता'' कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में ''प्रदायकर्ता'' कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ (१९७५ का ५१) की धारा ३ के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

मिलान किया जाएगा.

(२) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ (१९७५ का ५१) की धारा ३ के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी.

(३) जहां आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा.

(४) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी.

(५) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (३) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए.

(६) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा.

(७) प्रासिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (५) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा ३९ की उपधारा (९) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा की भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है.

(८) कोई प्रासिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

(९) जहां उपधारा (७) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (८) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रासिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी.

(१०) उपधारा (७) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा ५० उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

धारा ४३ (१) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्रदायकर्ता'' कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए आपूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्रासिकर्ता'' कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कंटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए.

(२) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमत: स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जाएगी.

(३) जहां बाहर के लिए प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्सथानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए.

(४) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना प्रादायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए.

(५) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (३) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता को आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्‌वर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए.

(६) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती संबंध (sic कटौती के संबंध) रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है.

(७) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (५) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा ३९ की उपधारा (९) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है.

(८) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

(९) जहां उपधारा (७) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (८) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को उसकी इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी.

(१०) उपधारा (७) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व में (sic से) घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा ५० की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

धारा ४३क (१) धारा १६ की उपधारा (२), धारा ३७ या धारा ३८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदायों के ब्यौरों को सत्यापित, विधिमान्य, उपांतरित या विलोपित करेगा.

(२) ४१, धारा ४२ या धारा ४३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(३) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसे कि विहित की जाए.

(४) उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत नहीं कि गई जावक प्रदायों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(५) जावक प्रदायों में, विनिर्दिष्ट कर की रकम जिसके लिए प्रदायकर्ताओं द्वारा उपधारा (३) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा.

(६) किसी प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता, संयुक्तत: और पृथकत:, ऐसी जावक प्रदायों के संबंध में, जिनके ब्यौरे उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, यथास्थिति फायदा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे.

(७) उपधारा (६) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी कि विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया गलती से फायदा लिए गए एक हजार रुपये से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने कें लिए उपबंध कर सकेगी.

(८) जावक प्रदायों के संबंध में प्रक्रिया, रक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा, जिनके ब्यौरे उपधारा (३) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं,—

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी व्यतिक्रमित राशि के भुगतान की नियत तारीख से दो मास से अधिक के लिए जारी रहता है ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाएं.

* * * * *

धारा ४७ (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ३७ या धारा ३८ के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या अंतर्गामी प्रदायों या धारा ३९ या धारा ४५ के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा ४४ के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा.

धारा ४८ (१) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा ३७ के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा ३८ के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा ३९ या धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा.

(३) उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्योरों से सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं.

धारा ४९ (१) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही जिसे ऐसी रीति में, विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा.

(२) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा ४१ या धारा ४३क के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा.

(३) इलेक्ट्रानिक रोकड बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा.

(४) इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा.

(५) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही में निम्नलिखित के लेखे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम—

(क) एकीकृत कर का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय कर का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर लिये (sic का) संदाय करने के लिये किया जाएगा;

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा:

परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;

(ङ) केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा.

(६) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में शेष का धारा ५४ के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा.

(७) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संधारित किया जाएगा.

(८) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :

(क) स्वयं निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ख) स्वयं निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अन्तर्गत धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन अवधारित मांग भी है.

(९) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है.

(१०) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररुप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाए, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर के लिए इलेक्ट्रानिक नगद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा.

(११) यहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिक रोकड बही में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,—

(एक) ''कर शोध्य'' से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

(दो) ''अन्य शोध्य'' से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

धारा ५० (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा:

परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदय कर पर ब्याज को, जिसे धारा ३९ के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर देय होगा जिसका संदाय इलैक्ट्रिानिक नकद खाते से विकलित ककर दिया जाता है.

(२) उपधारा (१) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी.

(३) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा ४२ की उपधारा (१०) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा ४३ की उपधारा (१०) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा.

* * * * *

धारा ५२ (१) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्रचालक'' कहा गया है) जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा की गई कराधेय प्रदायों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है.

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न ''कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य'' से मालों या सेवाओं की कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा आपूर्ति की गई है, से उक्त मास के दौरान प्रदायकर्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है.

(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अन्त से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा.

(४) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा मास के दौरान उपधारा (१) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलेक्ट्रानिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेंगे:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्टूबर नम्वबर और दिसम्बर, २०१८ मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख १ फरवरी, २०१९ होगा.

(५) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् ३१ दिसम्बर में पूर्व इलेक्ट्रानिक रूप से एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(६) यदि कोई प्रचालक उपधारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा ५० की उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने का वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(७) प्रदायकर्ता जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (४) के अधीन प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलेक्ट्रानिक रोकड बही में प्रत्यय का दावा करेगा.

(८) उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदायकर्ताओं के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा.

(९) जहां उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के ब्यौरे धारा ३७ या धारा ३९ के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी.

(१०) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (९) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोडड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से उस मास के पश्चात्‌वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है.

(११) संबंधित प्रदायकर्ता जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (१०) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, जिसके संदाय की तारीख तक करेगा.

(१२) उपायुक्त के रैंक से अन्यून कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों द्वारा भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(१३) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (१२) के अधीन सूचना की तामील की गई है ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा.

(१४) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१२) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा १२२ के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी.

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''संबंधित प्रदायकर्ता'' पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है.

* * * * *

धारा ५४ (१) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए आवेदन कर सकेगा:

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो धारा ४९ की उपधारा (६) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही में किसी शेष का प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा.

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४६) के अधीन अधिसूंचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा ५५ के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा. :

(३) उपधारा (१०) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—

(एक) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय;

(दो) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णत: छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है.

(४) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अन्तर्गत धारा ३३ में निर्दिष्ट दस्तावेज है) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम का उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है:

परन्तु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज को भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है.

(५) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा ५७ में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा.

(६) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (५) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिये अंतिम आदेश करेगा.

(७) समुचित अधिकारी उपधारा (५) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर जारी करेगा.

(८) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) निर्यात या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी निर्यातों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (३) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है का प्रतिदाय;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसका या तो पूर्णत: या भागत: उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा ७७ के अनुसरण में कर का प्रतिदाय;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज.

(८क) जहां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य कर के प्रतिदाय का वितरण किया गया है, सरकार केन्द्रीय सरकार, को उस प्रतिदाय के बराबर रकम अंतरित करेगी.

(९) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (८) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा.

(१०) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (३) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत ककरने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत्त रहती है, कटौती कर सकेगा.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है.

(११) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है जहां या (SiC या जहां) इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावा है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा.

(१२) जहां उपधारा (११) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है.

(१३) इस धारा में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा २७ की उपधारा (२) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा ३९ के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी है.

(१४) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रुपए से कम है.

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(१) ''प्रतिदाय'' में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की आपूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (३) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है.

(२) ''सुसंगत तारीख'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुटसेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(एक) यदि मालों या निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(दो) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(तीन) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मामलों (sic मालों) के पारेषण की तारीख;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की आपूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है;

(ग) भारत के बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्यं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(एक) संपरिवर्तनी विदेशी मुद्रा में या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए, संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; है

(दो) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की ससूचना की तारीख;

(ङ) उपधारा (३) के पहले परंतुक के खंड (दो) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उत्पन्न होता है, धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंति तारीख;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख.

*   *   *   *   *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.